न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2288–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–6–13 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 10/2012–13/अपील.

1– कृष्णगोपाल
2– गोवर्धन
3– कामता प्रसाद पुत्रगण स्व. हरनारायण
निवासीगण ग्राम भदरौली
परगना व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– नरहरि शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा
निवासी ग्राम भदरौली
परगना व जिला ग्वालियर
2– खेमराज
3– मुरारीलाल
4– दौलतराम उर्फ भंता
5– प्रमोद पुत्रगण स्व. वासदेव
6– रामबेटी पुत्री वासुदेव
निवासीगण ग्राम भदरौली
परगना व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 29 नवम्बर, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 4–6–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–85 के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 26–12–2012 को लगभग 27 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–6–13 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को एक सप्ताह में दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1985 में आवेदक के पक्ष में नामांतरण स्वीकार हुआ है, जिसे वर्ष 2012 में लगभग 27 वर्ष पश्चात चुनौती दी गई है, और अनावेदक कमांक 1 की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है, इसके बाजवूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनावेदक कमांक 1 की ओर से अवधि विधान की धारा 5 में यह नहीं बताया गया है कि किन परिस्थितियों में उसे आदेश की जानकारी हुई । यह भी कहा गया कि अवधि विधान की धारा 5 में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दर्शाया गया है । तर्कों के समर्थन में 2000 आर.एन. 214 एवं 2002 आर.एन 23 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 1 की भूमि है, और संवत् 2040 अर्थात 1984 तक उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा है, परन्तु बाद में संवत् 2041 में हरनारायण एवं वासुदेव के नाम गलत जानकारी प्रस्तुत कर नामांतरण पंजी पर दर्ज करा लिया गया, और नामांतरण पंजी में सर्वे कमांकों का उल्लेख भी नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि वासुदेव एवं हरनारायण की नहीं है, और तहसील न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है, जिसमें समय–सीमा लागू नहीं होती

है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का बंदोबस्त होने से सर्वे नं. बदल गए हैं, इसलिए कब्जा विवाद होने पर पटवारी के पास गए, उस समय नामांतरण की जानकारी हुई । तर्क के समर्थन में 1982 आर.एन. 417 एवं 2010 आर.एन. 259 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 29–10–85 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 26–12–2012 को लगभग 27 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित करते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी का यह विधिक दायित्व था कि इतने अधिक विलम्ब के संबंध में सकारण आदेश पारित करते । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी अवधि विधान के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विस्तृत एवं सकारण आदेश पारित करें । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–13 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर